न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2016-091(GCMS2016-00160)

1. शैतानसिंह पुत्र जगमालसिंह राजपूत
2. पदमसिंह पुत्र जगमालसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम घण्टियाली,
   तहसील फलोदी, वर्तमान तहसील बाप,
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धूलसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत
2. प्रहलादसिंह भोमसिंह राजपूत
3. हडमानसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत
4. माधवसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत
5. प्रेमकंवर पत्नी गिरधारीसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत
6. हेमसिंह पुत्र गिरधरसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम घण्टियाली,
   तहसील फलोदी, वर्तमान तहसील बाप,
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
7. सुआकंवर पत्नी गिरधारीसिंह पुत्री गिरधारीसिंह
   राजपूत, निवासी ग्राम खजोडा, तहसील कोलायत
8. सोहनकंवर पुत्री जोरसिंह राजपूत
9. सुन्दरकंवर पुत्री जोरसिंह राजपूत
10. भंवरसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
11. बदनकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत
    निवासीगण ग्राम घण्टियाली,
    तहसील फलोदी, वर्तमान तहसील बाप,
    जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
12. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बाप,जिला जोधपुर
    (वर्तमान जिला फलोदी)
13. नायब तहसीलदार, बाप
    तहसील बाप,जिला जोधपुर
    (वर्तमान जिला फलोदी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. उप तहसीलदार, घण्टियाली
तहसील बाप,जिला जोधपुर
(वर्तमान जिला फलोदी)
15. पटवारी (भू.अ.), घण्टियाली
पटवार मण्डल घण्टियाली
तहसील बाप,जिला जोधपुर
(वर्तमान जिला फलोदी)
16. लुंगा पत्नी रणजीताराम विश्नोई
निवासी ग्राम धतरवालों का गांव (भोजासर)
तहसील बाप,जिला जोधपुर
(वर्तमान जिला फलोदी)
17. जसवंतसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपूत
18. विक्मसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपूत
19. लक्ष्मीकंवर पुत्री गिरधारीसिंह राजपूत
20. सम्पतकंवर पुत्री गिरधारीसिंह राजपूत
21. देवकंवर पुत्री गिरधारीसिंह राजपूत
रेस्पो. संख्या 17 से 21 नाबालिगान जरिये
संरक्षक माता प्रेमकंवर पत्नी गिरधारीसिंह राजपूत
निवासीगण ग्राम घण्टियाली,
तहसील फलोदी, वर्तमान तहसील बाप,
जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप, दिनांक 17 जून 2016 राजस्व वाद संख्या 359/2013 शैतानसिंह व अन्य बनाम धूलसिंह आदि

उपस्थित-
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 359/2013 शैतानसिंह व अन्य बनाम धूलसिंह आदि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जून 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 सितम्बर 2016 प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण-अपीलाण्ट्स ने एक राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, कृषि जोत का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत आराजी खसरा संख्या 419 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा बारानी सोयम वाके मौजा सजनाणीयों की ढाणी पटवार हळका घंटियाली के संबंध में प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17 जून 2016 को निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किये गये है जिस बाबत दिनांक 12 अगस्त 2016 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी और दिनांक 24 अगस्त 2016 को नकल आदि प्राप्त होने पर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी गयी, अतः अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे। बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 419 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा में भोमसिंह व जोरसिंह पिसरान मोहब्बतसिंह का ½-½ हिस्सा था, जिसमें से जोरसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि दिनांक 27 जून 1988 को विकय विलेख के जरिये वादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। इसी अनुसार वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी कयशुदा भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं तदनुसार विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया गया और दिनांक 17 जून 2016 को दोनों पक्षों की लोक अदालत की भावना से सहमति दर्शाते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी कर दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में अपने हिस्से की बकाया भूमि से अधिक भूमि का बेचान/हस्तान्तरण कर दिया गया, इस कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा सहित सम्पूर्ण वाद के संबंध में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई की जाकर समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित निष्कर्ष देते हुए वाद का निस्तारण किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की कोई सहमति नहीं दी गयी। इसके अलावा दिनांक 01 मई 2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया, उसका भी विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर दिये गये। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि वादीगण-अपीलाण्ट्स ने जो भूमि कय की, उसका खसरा संख्या 419/1 के तौर पर राजस्व रिकार्ड में तरमीम हो गयी किन्तु नक्शें में तरमीम नहीं हुई। मगर दावे में खसरा संख्या 419/1 का कोई उल्लेख नहीं है। वादग्रस्त भूमि में 15 बीघा भूमि की केता लुंगा को भी मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को प्रश्न है, न्यायहित में प्रकरण गुणावगुण बाबत सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रकरणो में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा धारित सिद्धान्त के अनुरूप मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु बाबत नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण बाबत अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 419 रकबा 208 बीघा 16 बिस्वा बारानी सोयम वाके मौजा सजनाणीयों की ढाणी पटवार हळका घंटियाली में ½ हिस्सा भोमसिंह तथा ½ हिस्सा जोरसिंह पिसरान मोहब्बतसिंह का होना तथा जोरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 27 बीघा 16

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिस्वा भूमि दिनांक 27 जून 1988 को जरिये विक्रय विलेख वादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में बेचान किया जाना जाहिर करते हुए तदनुसार जोरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह के ½ हिस्से में 27 बीघा 16 बिस्वा भूमि बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा ½ हिस्सा भोमसिंह तथा ½ हिस्सा जोरसिंह पिसरान मोहब्बतसिंह का होने तथा उसमें जोरसिंह के हिस्से में से वादीगण-अपीलाण्ट्स की उक्त कयशुदा भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में कोई निष्कर्ष पारित ही नहीं किया गया और दिनांक 17 जून 2016 को दोनों ही पक्षकारों की लोक अदालत की भावना से सहमति अंकित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब कर लिये गये। उल्लेखनीय है कि पक्षकारान की सहमति संबंधित कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और आदेशिका के हाशिये पर पक्षकारान अथवा पक्षकारान के अधिवक्तागण के सहमति दिये जाने बाबत कोई हस्ताक्षर भी नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 01 मई 2012 को प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 01 मई 2012 में भी अंकित है और उक्त प्रार्थनापत्र के जबाब हेतु मामले में आगे पेशी भी मुकर्रर की गयी। मगर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। जो निर्धारित विधिक प्रकिया एवं न्याय की मूल मंशा के अनुरूप नहीं पाये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जून 2016 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व अन्य प्रार्थनापत्र (यदि कोई हो) का निस्तारण किया जावे, तत्पश्चात जबाबदावा, विवाधकों की संरचना आदि की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन व विश्लेषण सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए न्यायोचित निर्णय व तदनुरूप डिक्री पारित किये जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर